



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2002/पौष 14, 1923

No. 9 ]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2002/PAUSA 14, 1923

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

सं. 1/2002-गै.टै.-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 11 ( अ ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9ए की उपधारा ( 6 ) तथा धारा 9ख की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ( i ) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण ) संशोधन नियमावली, 2002 कहा जाएगा।

( ii ) ये सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 में पैराग्राफ 8 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8(1) पद 'बाजार-भिन्न अर्थव्यवस्था देश' का आशय किसी ऐसे देश से है जिसे उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार, पदनामित प्राधिकारी निर्धारित करता है कि वह लागत अथवा मूल्य ढांचे के बाजार सिद्धांतों के आधार पर संचालन नहीं करता है, ताकि ऐसे देश में माल की बिक्री से माल के उचित मूल्य का पता न लग सके।

(2) यह धारणा होगी कि कोई देश जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के पदनामित प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रति-पाटन संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए बाजार-भिन्न अर्थव्यवस्था देश के रूप में निर्धारित किया गया है अथवा माना गया है कि वह बाजार-भिन्न अर्थव्यवस्था देश है।

परन्तु, यह कि बाजार-भिन्न अर्थव्यवस्था देश अथवा ऐसे देश से संबंधित फर्म पदनामित प्राधिकारी को ऐसी सूचना एवं साक्ष्य देकर इस धारणा का खण्डन कर सकती है जिससे यह सिद्ध हो जाता हो कि संबंधित देश उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदण्ड के आधार पर बाजार-भिन्न अर्थव्यवस्था है।

(3) पदनामित प्राधिकारी प्रत्येक मामले में विचार करेगा कि क्या :—

- (क) मूल्यों, लागतों और निविष्टियों तथा कच्ची सामग्रियों, तकनीकी और श्रमिक लागत, उत्पादन, बिक्रियों और निवेश के संबंध में ऐसे देश में संबंधित फर्मों के निर्णय, पूर्ति और मांग की स्थिति दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में राज्य के विशेष दखल के बिना और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें काफी हद तक बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं या नहीं, को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं;
- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में पूर्ववर्ती बाजार-भिन्न अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न भारी विकृतियों, विशेष रूप से संपत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बढ़ते खाते में डाली गई रकमों, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के जरिए भुगतान से उत्पन्न विकृतियां आ जाती हैं।
- (ग) ऐसी फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अंतर्गत आती हैं जो फर्मों के परिचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता को गारंटी देते हैं, और
- (घ) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं :

परन्तु यह कि जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट मापदण्डों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिखाया जाता हो कि ऐसी एक अथवा उससे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि उनकी प्रतिपाटन संबंधी जांच की जानी है, तो पदनामित प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में वर्णित सिद्धांतों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में वर्णित सिद्धांतों को लागू कर सकता है।'

[फा. सं. 525/2/94-सीमा शुल्क (टी.यू.) खंड]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी.—मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. 1(अ) दिनांक पहली जनवरी, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार सा.का.नि. 405(अ) दिनांक 31 मई, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2002

No. 1/2002-NT-Customs

**G.S.R. 11(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :—

1. (i) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Annexure I to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“8. (1) The term ‘non-market economy country’ means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country :

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

- (3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether :
- (a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
  - (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write offs, barter trade and payment via compensation of debts;
  - (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
  - (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate :

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.”

[F. No. 525/2/94-CUS (TU) Pt.]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 1(E), dated 1st January, 1995 and was last amended vide G.S.R. 405(E), dated 31st May, 2001.

